आदेश का क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय :– उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा।

L.C वाद सं0– 01/2012–13

मो0 ईशा – अपीलकर्ता

बनाम

अब्दुल गफुर अंसारी – बिपक्षी

आदेश

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक मो0 ईशा, पिता– नटाई शेख ग्राम–झलुआ, पो0– कल्याणपुर गढ़वा के द्वारा दिनांक 06.06.2012 को आवेदन समर्पित कर निवंधन केवाला संख्या 1578 दिनांक 16.04.2012 में निष्पादित ग्राम–झलुआ के खाता 98 प्लॉट 111 रकवा 0.12 डी0 भूमि से संवंधित Land celling 16 (3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

आवेदक के द्वारा अपने पक्ष रखते हुए वताया गया की बिपक्षी द्वारा विक्रय पत्र संख्या 1578 दिनांक 16.04.2012 के द्वारा क्रय की गई भूमि के निष्पादित केवाला की चौहदी में दक्षिण तरफ सटी हुई भूमि मो0 ईशा (आवेदक) की भूमि है तथा प्रस्तावित भूमि के किसी ओर क्रेता/विपक्षी नहीं है। विपक्षी के द्वारा कराये गऐ केवाला में अंकित चौहदी में आवेदक ईशा अंसारी का नाम अंकित है आवेदक मो0 ईशा के द्वारा वताया गया की प्रस्तावित भूमि उनके चौहदी की भूमि है जिसे समीउदीन अंसारी वल्द स्व0 जालीम शेख ग्राम–झलुआ पो0 –कल्याणपुर के द्वारा क्रय किया गया है। आवेदक के द्वारा दिनांक 06.06.2012 को सिलिंग वाद अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें विपक्षी सं0 (1) अब्दूल गफूर अंसारी (भूमि विक्रेता) एवं विपक्षी संख्या (2) (भूमि क्रेता) समीउदीन अंसारी (भूमि क्रेता) के द्वारा आपसी सहमती से एक षडयंत्र के तहत भूमि विक्रेता के द्वारा भूमि क्रेता पर यह कहकर मुकदमा किया गया की केवाला में अंकित राशि 1,95,000.00 (एक लाख पन्चानवे हजार)रूपये का पुर्ण भुगतान नहीं हुआ है जिसमें क्रेता द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया की मैं राशि देने से असमर्थ हूँ इस प्रकार भूमि क्रेता के द्वारा विक्री की गई भूमि को कैन्सिलनामा दस्तावेज संख्या 2803 दिनांक 19.06.2012 के द्वारा विक्री की गई भूमि को कैन्सील करा

Scanned with CamScanner

दिया है। आवेदक के द्वारा यह भी वताया गया की जव विपक्षी को मालूम हो गया है कि उक्त मामले को लेकर उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार गढ़वा के न्यायालय में Land celling अपील दर्ज किया गया है तो क्रेता–विक्रेता आपस में मिलकर आपसी षडयंत्र के तहत केवाला को कैन्सील कराने का कार्य किये है।

विपक्ष की ओर से विद्यमान अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखते हुए वताया गया की ग्राम–झलुआ थाना–गढ़वा के खाता 98 प्लॉट 111 रकवा 12 डीसमील भूमि विक्री अब्दूल गफूर अंसारी वल्द स्व खेदन शेख के द्वारा समीउदीन अंसारी वल्द स्वी जालीम शेख को निवंधित केवाला संख्या 1578 दिनांक 16.04.2012 को किया गया था जिसमें चौहदी उत्तर परती पिण्ड दक्षिण ईशा अंसारी पूरव कुतुबुदीन अंसारी पश्चिम कुतुवुदिन अंसारी होने की वात स्वीकार की गई साथ ही यह भी स्वीकार किया गया की अंकित चौहदी में दक्षिण की ओर आवेदक का नाम अंकित है। निष्पादित केवाला संख्या 1578/16.04.2012 उक्त सम्पति का कुल मूल्य मो 1,95,000.00 रूपया अंकित है उपरोक्त लेखाकारी उपरोक्त लेखाधारी से तकावजुल बदलैन मूल केवाला द्वारा पावेंगे या मूल केवाला उपरोक्त लेखाधारी के हाथों में जाना ही कुल जरसमन का रूपया वसुल पाने का मूख्य सवुत होगा। केवाला में वर्णित शर्त के अनुसार भूमि क्रेता के द्वारा 195,000.00 रूपया विक्रेता को नहीं दिया गया परिणाम स्वरूप भूमि विक्रेता केवाला का चुटका निबंधन कार्यालय गढ़वा में जमा कर मुल केवाला संख्या 1578 दिनांक 16.04.2012 को निकालकर अपने पास रख लिया। भूमि विक्रेता विपक्षी संख्या अब्दूल गफूर अंसारी (लेखाकारी) ने भूमि क्रेता समीउदीन अंसारी से पैसा प्राप्त करने हेतु वकालत नामा नोटीश भी भेजा है। परंतु भूमि क्रेता के द्वारा स–समय पैसा नहीं दिया गया इस प्रकार समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण भूमि विक्रेता द्वारा कैन्सिलनामा दस्तावेज संख्या 2803 दिनांक 19.06.2012 के द्वारा संवंधित केवाला को निरस्त करा दिया है। साथ ही भूमि विक्रेता अब्दुल गफुर अंसारी द्वारा निबंधित केवाला संख्या 1578 दिनांक 16.04.2012 को शून्य घोषित करने के लिए सिविल जज सिनियर डिविजन प्रथम गढ़वा के न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या 106/2014 दाखिल किया था जिसमें भूमि क्रेता समीउदीन अंसारी के

Scanned with CamScanner

द्वारा भुगतान नहीं करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। भूमि क्रेता (समसुदीन अंसारी) द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी बिमारी के कारण राशि भुगतान नहीं करने की बात स्वीकार की गई है। दोनो पक्षो के सुनवाई के उपरांत सिविल जज सिनियर डिविजन प्रथम गढ़वा के न्यायालय द्वारा निबंधित केवाला संख्या 1578 दिनांक 16.04.2012 को शून्य घोषित किया गया है। इस प्राकर विपक्षी के द्वारा मामले को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षो के द्वारा लिखित ब्यान एवं उपलब्ध कागजातो से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के निबंधित केवाला 1578 दिनांक 16.04.2012 में अंकित चौहद्दी में प्रथम पक्ष है परंतु निष्पादित केवाला में अंकित शर्तो के अनुरूप भूमि क्रेता (समीउदीन अंसारी) द्वारा पुर्ण राशि नही चुकाया गया है तथा भूमि विक्रेता अब्दुल गफुर अंसारी द्वारा राशि की मांग हेतु वकालतनामा नोटिस निर्गत कर भूमि क्रेता को सूचित भी की गई परंतु भूमि क्रेता द्वारा स–समय पैसा का चुकता नहीं किया गया इस प्रकार स–समय पैसा नहीं मिलने के कारण भूमि विक्रेता द्वारा निबंधन कार्यालय में केवाला संख्या 1578 दिनांक 16.04.2012 को कैन्सील करा दिया गया है। साथ ही उक्त मामले को लेकर In the court of civil Judge (Sr.division) I Garhwa के द्वारा भी संबंधित केवाला के संदर्भ में निर्णय पारित किया गया है। अतएव वर्णित मामले में किसी प्रकार का निर्णय पारित करना अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधीन नहीं है।

अतः आवेदक के प्रिमेंशन Premention आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

25/01/21.

उप समाहर्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

25/01/21

उप समाहर्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner